TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 25th January, 2006

NOTIFICATION INCOME-TAX

- **s.o.** In exercise of the powers conferred by clause (ii) in the *Explanation* to clause (d) of the proviso to clause (5) of section 43 of the Income-tax Act, read with sub-rule (4) of rule 6DDB of the Income-tax Rules, Government hereby notifies the following stock exchanges as exchanges for the purposes of the said clause with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-
 - (1) National Stock Exchange of India Limited, Mumbai
 - (2) Bombay Stock Exchange Limited, Mumbai
- 2. The Central Government may withdraw the recognition granted to the stock exchange if any of the conditions prescribed in rule 6DDA of the Income-tax Rules, 1962, subject to which the recognition is granted, is violated.
- 3. This notification shall remain in force until the approval granted by the Securities and Exchange Board of India is withdrawn or expires, or this notification is rescinded by the Central Government as provided in sub-rule (5) of rule 6DDE of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No. 9_ /2006/F] No.142/38/2005-TPL]

(AL SREENIVASA RAO) Under Secretary (TPL-III) [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनाथ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

का.आ.....(अ) केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघख के उपनियम (4) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्निलिखित स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (1) भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई
- (2) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई
- 2. केन्द्रीय सरकार, यदि आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघक में विहित किसी शर्त, जिसके अध्यधीन मान्यता प्रदान की जाती है, का अतिक्रमण किया जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी।
- 3. यह अधिसूचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापस लेने तक या उसकी समाप्ति तक या केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर नियम, 1962 के नियम 6धघख के उपनियम (5) में यथा उपबंधित इस अधिसूचना के विखंडित किए जाने तक, प्रवृत्त रहेगी।

[अधिसूचना सं रे.../2006/फा.सं.142/38/2005-टीपीएल]

३२ ४\\८ । (ए.श्रीनिवास राव

(ए.श्रीनिवास राव) अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 25th January, 2006

NOTIFICATION INCOME-TAX

- **S.O.** In exercise of the powers conferred by clause (ii) in the *Exp* anation to clause (d) of the proviso to clause (5) of section 43 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) read with sub-rule (4) of rule 6DDB of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the following stock exchanges as recognised stock exchanges for the purposes of the said clause with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-
 - (1) National Stock Exchange of India Limited, Mumbai
 - (2) Bombay Stock Exchange Limited, Mumbai
- 2. The Central Government may withdraw the recognition granted to the stock exchange if any of the conditions prescribed in rule 6DDA of the Income-tax Rules, 1962, subject to which the recognition is granted, is violated.
- 3. This notification shall remain in force until the approval granted by the Securities and Exchange Board of India is withdrawn or expires, or this notification is rescinded by the Central Government as provided in sub-rule (5) of rule 6DDB of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No 2 /2006/F.Np.142/38/2005-TPL]

(A¹. \$REENIVASA RAO) Under Secretary (TPL-III) [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकारानार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

> नई दिल्ली, तारीख......2.जनवरी, 2006 अधिसूचना आय-कर

का.आ.....(अ) केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघखं के उपनियम (4) के साथ पिटत आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्निलिखित स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के रूप में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (1) भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई
- (2) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई
- 2. केन्द्रीय सरकार, यदि आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघक में विहित किसी शर्त, जिसके अध्यधीन मान्यता प्रदान की जाती है, का अतिक्रमण किया जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी।
- 3. यह अधिसूचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन को वापस लेने तक या उसकी समाप्ति तक या केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघख के उपनियम (5) में यथा उपबंधित इस अधिसूचना के विखंडित किए जाने तक, प्रवृत्त रहेगी ।

[अधिसूचना सं 🚣 ../2008/फा.सं.142/38/2005-टीपीएल]

उपभीश्व

(ए.श्रीनिवास राव) अवर समिव, भारत सरकार